उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–9
संख्या– /2016/XXVII(9)/स्टाम्प –04/2016
देहरादूनः दिनांकः 10 मार्च, 2016

अधिसूचना

राज्यपाल, रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 16, सन् 1908) की धारा 78–का द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्य सरकार/राज्य सरकार के संस्थान जिन्हें लोक प्रयोजन हेतु दान स्वरूप निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जाती है, की भूमि पर प्रभार्य निबन्धन शुल्क में छूट प्रदान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या– 57 (1)/2016/XXVII(9)/स्टाम्प–04/2016 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. महानिरीक्षक, निबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. महालेखाकार ओबराय बिल्डिंग माजरा देहरादून उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को आगामी अंक में प्रकाशन उपरान्त 100–100 प्रतियां शासन में उपलब्ध करा दें।
5. प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(बी0डी0 बेलवाल)
अनु सचिव।

प्रकल 632 11/3/16